सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 59/12 **निर्णय दिनांकः 16–08–2019**

1. ओमप्रकाश पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी चक 2 एएस तहसील सूरतगढ़ हाल चक 15 पीकेडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 13–11–2001
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

2. अपील संख्या 60 /18

1. ओमप्रकाश पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी चक 2 एएस तहसील सूरतगढ़ हाल चक 15 पीकेडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. ओमप्रकाश पुत्र किशन जाति स्वामी निवासी कमला कॉलोनी, बीकानेर।
2. महेन्द्र कुमार पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवासी राजूडू तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. सुरेन्द्र पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवासी राजूडू तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 29–09–2008
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितिः—

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 13—11—2001 व आदेश दिनांक 29—09—2008 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित व गजट में प्रकाशित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर भूमिहीन श्रेणी में किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निस्तारण हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण उपरोक्त दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही कॉमन निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक—एक प्रति दोनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि चक 12 एमडीएम वर्तमान चक 15 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 223/4 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि विशेष आवंटन हेतु दिनांक 05—01—1991 को राजपत्र गजट में प्रकाशित भूमि है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का आवंटन बतौर भूमिहीन श्रेणी में किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है। उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट को आराजी जैर गजट में प्रकाशित होने के आधार पर बाद जॉच सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया था। आवंटन पश्चात् अपीलांट ने जरिये चालान संख्या 243 दिनांक 13—12—1999 को 35 प्रतिशत राशि रूपये 50,188/— खजानाराज में जमा करवा दी गई थी तथा मौके पर भूमि

का कब्जा प्राप्त कर लिया गया था। कालान्तर में अपीलांट के नाम से इंतकाल संख्या 264 दिनांक 23—12—1999 को उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के तमाम अधिकार अपीलांट को प्राप्त हो चुके थे।

उन्होनें आगे बताया कि वादग्रस्त भूमि चक परिवर्तित होने पर चक 15 पीकेडी के रूप में कायम होने व अनकमाण्ड से कमाण्ड होने की स्थिति में अपीलांट को कमाण्ड भूमि के रूप में कीमत जमा कराने के लिय कहा गया। अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की गई जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25—09—2000 को अन्य आदेश तक कमाण्ड भूमि की कीमत वसूल करने के आदेश को स्थगित कर दिया गया। उक्त स्थगन आदेश के कायम रहते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13—11—2001 को अपीलांट का आवंटन निरस्त कर दिया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के रेस्पोडेन्ट्स को बतौर भूमिहीन आवंटन किये जाने का प्रश्न है, उक्त भूमि वर्ष 1991 से ही गजट में प्रकाशित भूमि रही है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट्स को आराजी जैर का आवंटन विनिमय में बतौर भूमिहीन किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो कानून की दृष्टि में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे व अपीलांट का पूर्ववर्ती आवंटन यथावत बहाल रखा जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्व में चक 117—500 आरडी के मुरब्बा नम्बर 204/25 की 15 बीघा 19 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 30—09—1980 को किया गया था। उक्त आवंटित भूमि विवादग्रस्त होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त आवंटित भूमि की एवज में अन्यत्र भूमि आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर जिला कलेक्टर, बीकानेर की अध्यक्षता में आयोजित विनिमय कमेटी की बैठक में उक्त प्रकरण को रखा गया तथा विनिमय कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से प्रार्थी का विनियम प्रकरण स्वीकार कर प्रार्थी को अन्यत्र भूमि आवंटन का पात्र माना गया तथा प्रकरण को सक्षम मानते हुए प्रार्थी को अन्यत्र भूमि चक 15 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 223/4 के किला नम्बर 1 ता 9, 12 ता 19 की 17 बीघा कमाण्ड एवं किला नम्बर 10, 11, 20, 21 व 22 में 4 बीघा 08 बिस्वा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 21 बीघा 08 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। आवंटन पश्चात् वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के बाबत् तमाम कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हैं। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित होने के करीब 04 वर्ष उपरान्त उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने आगे कथन किया कि प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के अपीलांट का आवंटन का प्रश्न है, अपीलांट को चक 1—2 एमडीएम में आवंटन किया गया था। जबकि रेस्पोडेन्ट का आवंटन चक 15 पीकेडी का है। अपीलांट द्वारा चक 15 पीकेडी में भूमि

आवंटन का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को चक 15 पीकेडी का ही आवंटन हुआ था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 उक्त भूमि के बोनाफाईड परचेजर है। अपीलांट द्वारा उक्त सेलडीड को सिविल न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का वादग्रस्त भूमि क्या सरोकार है, अपीलांट साबित करने में असफल रहे है।

अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया को अपनाये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इन अपीलों के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपीलें खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन बहाल रखा जावे।

7. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

8. हस्तगत् प्रकरण में वादग्रस्त भूमि चक 12 एमडीएम का आवंटन वर्ष 1999 में किया गया था। अपीलांट का कथन कि उक्त भूमि वर्तमान में चक 15 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 223/4 के रूप में पैमूद हुई है, परन्तु इस संबंध में अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे साबित हो कि अपीलांट को पूर्व में चक 12 एमडीएम में आवंटित भूमि के वर्तमान में चक 15 पीकेडी कायम हुए है। अपीलांट का उक्त आवंटन सक्षम आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 13—11—2001 को किश्तों के अभाव में निरस्त कर दिया गया। अपीलांट द्वारा उक्त आवंटन निरस्त होने के करीब 11 साल तक कोई अपील पेश नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिला कलेक्टर, बीकानेर की अध्यक्षता में आयोजित विनिमय कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से प्रार्थी का विनियम प्रकरण स्वीकार किये जाने के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि का अपीलांट के पक्ष में आवंटन निरस्त होने व राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज रहने पर रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में चक 15 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 223/4 के किला नम्बर 1 ता 9, 12 ता 19 की 17 बीघा कमाण्ड एवं किला नम्बर

10, 11, 20, 21 व 22 में 4 बीघा 08 बिस्वा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 21 बीघा 08 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन विनिमय में किया गया। पुनः आवंटन की दिनांक को उक्त भूमि रकबाराज थी तथा अपीलांट के पक्ष में कोई टाईटल नहीं था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज होने के आधार विधि सम्मत तरीके से उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

प्रकरण में अपीलांट द्वारा 13 वर्ष पूर्व पुराने आवंटन आदेश की आड़ में अपील पेश की है। जबकि उक्त आवंटन दिनांक 13—11—2001 को किश्तों के अभाव में खारिज किया जा चुका था। उक्त निरस्ती आदेश के आधार पर अपीलांट को अपील में प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की दोनों अपीलें मियांद बाहर एवं सारहीन पाये जाने पर खारिज की जाती है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन बहाल रखा जाता है।

10. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16—08—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर